परिपत्र सं॰ 24/2017-सीमाशुल्क

फा॰सं॰ 609/46/2017-डीबीके

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

****

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त / आयुक्त,
(सीबीईसी के अंतर्गत आने वाले सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: जीएसटी परिदृश्य के अंतर्गत डीटीए इकाईयों द्वारा विशेष आर्थिक जोनों को की जाने वाली आपूर्ति पर शुल्क प्रति अदायगी

आपका ध्यान बोर्ड के परिपत्र सं. 43/2007-सीमाशुल्क दिनांक 05.12.2007 और परिपत्र सं. 39/2010-सीमाशुल्क दिनांक 15.10.2010 पर आकृष्ट किया जा रहा है जिनमें अन्य बातों के अलावा यह विनिर्दिष्ट है कि डीटीए आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा एसईजेड इकाईयों अथवा डेवलपरों को की गई आपूर्ति के लिए प्रति अदायगी का दावा किए जाने के संबंध में, जब इनके साथ डिस्क्लेमर लगा हो, प्रति अदायगी का वितरण उस केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसे डीटीए आपूर्तिकर्ताओं की निर्माता इकाईयां आती हो।

2. जीएसटी के क्रियान्वयन के दृष्टि से, बोर्ड ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालयों द्वारा अब तक किए जा रहे सीमाशुल्क संबंधी कार्यों को फिर से गठित करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि डीटीए इकाईयों द्वारा एसईजेड इकाईयों अथवा डेवलेपरों को की जाने वाले आपूर्ति के संबंध में और जहां की एसईजेड इकाई अथवा डेवलेपर डीटीए आपूर्तिकर्ता को एक डिस्क्लेमर जारी करता है और डीटीए के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रति अदायगी का दावा किया जाता है तो प्रति अदायगी से संबंधित कार्रवाई और इसका भुगतान उस प्रधान आयुक्त या आयुक्त सीमाशुल्क / सीमाशुल्क (निवारक) के द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसी डीटीए इकाई आती हो। इसके अलावा डीटीए के द्वारा एसईजेड इकाईयों अथवा डेवलेपरों को की जाने वाली आपूर्ति के मामले

में ब्रांड रेट का निर्धारण, यदि आवश्यक हो तो, उक्त प्रधान आयुक्त / आयुक्त के कार्यालय के द्वारा किया जाएगा। यह बात 01.07.2017 से किए जाने वाले नए आवेदनों / दावों पर लागू होगी।

3. आवेदन / दावे जो 30.6.17 तक दायर किए गए हैं और क्षेत्राधिकार प्राप्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क के कार्यालयों में विचाराधीन है, को अब उन प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क / सीमाशुल्क (निवारक) के पास स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिनके अधिकार क्षेत्र में ऐसे डीटीए आपूर्तिकर्ता आते हैं। उपर्युक्त कार्य को सीमा शुल्क कार्यालयों के पास सहज रूप से स्थानांतरित करने के लिए यह जरूरी है कि कागजातों का सावधानीपूर्वक और सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ बिना किसी व्यवधान व विलंब आदि के स्थानांतरण किया जाए ।

4. डीटीए आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा एसईजेड इकाईयों अथवा डेवलेपरों के द्वारा की जाने वाले आर्पूति के संबंध में किए जाने वाले प्रतिअदायगी के दावे से संबंधित वर्तमान निर्देश केवल ऊपर बताई गई बातों को अपवाद स्वरूप छोड़कर यथावत रहेंगे। यह ध्यान में रखा जाये कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों को सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमाशुल्क के अधिकारी नामित किया गया है। तदनुसार, जब तक क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क आयुक्तालय, जो अब तक सीमाशुल्क के कार्यों को कर रहे केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों का स्थान लेंगे, अधिसूचित और कार्यात्मक हो जाते हैं, क्षेत्राधिकार प्राप्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के तहत आवश्यक सीमाशुल्क के कार्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

5. व्यापार जगत के सूचना हेतु उपयुक्त सार्वजनिक सूचना और कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु स्थाई आदेश जारी किए जाएं। यदि इस परिपत्र के क्रियान्वयन में कोई परेशानी आ रही हो तो उसे बोर्ड के जानकारी में लाया जा सकता है।

भवदीय,

(नितीश कु. सिन्हा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार